समक्ष माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

म0प्र0)

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रं0-............../2016

निगराकार/आवेदकगण:- 01-महन्त श्री ओंकारदास गुरू महन्त श्री रामाश्रयदास उम्र लगभग ... वर्ष, निवास निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना म0प्र0

02-श्री दीनदयालदास उर्फ दीपकदास अधिकारी गुरू महन्त श्री रामाश्रयदास उम्र लगभग ... वर्ष, निवास निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना म0प्र0

विरूद्ध

गैरनिगराकार/अनावेदकगण:- 01- रामआश्रयदास - (फौत)

02-राज्य म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष सतना, जिला सतना म0प्र0

03-नायब तहसीलदार, वृत्त चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना म0प्र0

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना म0प्र0 द्वारा राजस्व प्रकरण क0-84ए74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08/05/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार/आवेदकगण निम्नलिखित कानूनी बिन्दुओं के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत करते है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–540–दो/2016 जिला–सतना

महन्त श्री ओंकारदास गुरू व अन्य विरूद्ध रामआश्रयदास आादि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त चित्रकूट, तहसील मझगवां जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 84/ए–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 08–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	